

वर्चुआ हेल्थ

मैनुअल शीर्षक पीबीएस-मरीज़ लेखा		पालिसी का नाम वित्तीय सहायता नीति		
मैनुअल मालिक	जारी करने की तिथि	अंतिम समीक्षा की तिथि	संशोधन की तिथि	प्रभावी तिथि
मरीज़ लेखा		12/2016,03/20/2018 , 12/02/2019, 08/2024	12/2015, 11/2019 12/02/2019, 01/2021, 08/2024	12/2015
समीक्षा अंतराल 12 महीने यह नीति इन पर लागू होती है:	समीक्षा / अनुमोदन कर्ता: वर्चुआ हेल्थ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अधिकारी वर्चुआ - मेमोरियल हॉस्पिटल बर्लिंगटन काउंटी, इंक। वर्चुआ - वेस्ट जर्सी हेल्थ सिस्टम, इंक। वर्चुआ मेमोरियल बर्लिंगटन - साइक वर्चुआ अवर लेडी ऑफ लूर्ड्स हॉस्पिटल, इंक. वर्चुआ विलिंगबोरो हॉस्पिटल, इंक			

1. नीति

वर्चुआ की वित्तीय सहायता नीति ("एफएपी") का लक्ष्य उन लोगों की सहायता करना है जिनके पास देखभाल के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन (स्वास्थ्य बीमा सहित) नहीं हैं, या जिनके लिए वे जिम्मेदार हैं, प्राप्त किया है। वर्चुआ का एफएपी आपातकालीन और चिकित्सकीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल के प्रावधान से संबंधित है। यह गैर-चिकित्सकीय रूप से आवश्यक या वैकल्पिक कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं से संबंधित नहीं है। जिन मरीज़ों को वर्चुआ में आपातकालीन या अन्य चिकित्सीय रूप से आवश्यक देखभाल प्राप्त होती है, वे आमतौर पर निजी चिकित्सक समूहों या अन्य तीसरे पक्ष के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा देखे जाते हैं, जब वर्चुआ के द्वारा उनकी देखभाल की जाती है। कृपया हमारे अस्पताल की सुविधाओं के भीतर प्रदाताओं की सूची के लिए परिशिष्ट ए देखें जो आपातकालीन या अन्य चिकित्सकीय रूप से आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। परिशिष्ट निर्दिष्ट करता है कि कौन से प्रदाता इस एफएपी के अंतर्गत आते हैं और कौन से नहीं। प्रदाता लिस्टिंग की तिमाही समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यक हो तो इसे अपडेट किया जाएगा।

2. वित्तीय सहायता कार्यक्रम, पात्रता, और लागू करने के तरीके/प्रक्रियाएं

योग्यता के अधीन, निम्नलिखित कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सकती है:

ए) मेडिकेड और सामाजिक सुरक्षा जैसे सरकारी कार्यक्रम

बी) द स्टेट ऑफ़ न्यू जर्सी का हॉस्पिटल केयर पेमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम ("एचसीपीएपी")

अस्पताल देखभाल भुगतान सहायता के लिए धन का स्रोत जर्सी पब्लिक लॉ 1997, अध्याय 263 के तहत प्रशासित हेल्थ केयर सब्सिडी फंड के माध्यम से है। एचसीपीएपी अनुमोदन के परिणामस्वरूप न्यू जर्सी राज्य भर में एम्ब्यूट केयर अस्पतालों में इन-पेशेंट और आउट-पेशेंट सेवाएं प्राप्त करने वाले

मरीजों को मुफ्त या रियायती देखभाल प्राप्त होती है। अस्पताल सहायता और कम शुल्क वाली देखभाल केवल आवश्यक आपातकालीन या चिकित्सकीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल के लिए उपलब्ध है।

मरीज एचसीपीएपी के पात्र हो सकते हैं यदि वे न्यू जर्सी के निवासी हैं जो/जिनके पास:

- i. कोई स्वास्थ्य कवरेज नहीं है या ऐसा कवरेज है जो अस्पताल के बिल के केवल एक हिस्से का भुगतान करता है (बीमा-रहित या कम बीमा वाले);
- ii. किसी भी निजी या सरकारी प्रायोजित कवरेज (जैसे मेडिकेड) के लिए अपात्र हैं; और
- iii. नीचे शामिल निम्नलिखित आय और संपत्ति पात्रता मानदंडों को पूरा करते हो:

आय मानदंड: संघीय गरीबी दिशानिर्देशों ("एफ़पीजी") के 200% से कम या उसके बराबर पारिवारिक सकल आय वाले मरीज़ 100% चेरीटी देखभाल कवरेज के लिए पात्र हैं। जिन मरीज़ के परिवार की सकल आय 200% से अधिक लेकिन एफ़पीजी के 300% से कम या इसके बराबर हो वे रियायती देखभाल के पात्र हैं। निःशुल्क देखभाल या आंशिक रूप से कवर किए गए शुल्क न्यू जर्सी डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ फ़ी शेड्यूल के उपयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

संपत्ति मानदंड: एचसीपीएपी में संपत्ति पात्रता सीमा शामिल है जो बताती है कि व्यक्तिगत संपत्ति \$7,500 से अधिक नहीं हो सकती है और पारिवारिक संपत्ति \$15,000 से अधिक नहीं हो सकती है।

एचसीपीएपी गैर-न्यू जर्सी निवासियों के लिए भी उपलब्ध है, जिन्हें आपातकालीन चिकित्सा स्थिति के लिए तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है।

जो मरीज एचसीपीएपी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें भाग लेने के लिए न्यू जर्सी हॉस्पिटल केयर असिस्टेंस प्रोग्राम आवेदन पूरा करके जमा करना होगा, जिसमें परिवार/घर की जानकारी, न्यू जर्सी रेसीडेंसी का प्रमाण (जैसे ड्राइवर लाइसेंस, काउंटी पहचान पत्र), और आय का दस्तावेज (जैसे पे स्टब(ब्स), फॉर्म डब्ल्यू-2, सोशल सिक्योरिटी स्टेटमेंट) और एसेट्स (एक्स बैंक स्टेटमेंट)। यदि मरीज़ की कोई आय या संपत्ति नहीं है, तो मरीज़ द्वारा प्रदान किया गया सत्यापन दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता को कम कर देगा।

सी) न्यू जर्सी बीमा-रहित छूट (सार्वजनिक कानून 2008, अध्याय 60)

एफपीजी के 500% से कम पारिवारिक सकल आय वाले सभी अभीमाकृत मरीज़ इस कार्यक्रम के तहत रियायती देखभाल के लिए पात्र होंगे। इस कार्यक्रम के तहत एक पात्र मरीज़ से प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संघीय मेडिकेयर कार्यक्रम के तहत लागू भुगतान दर के 115% से अधिक की राशि नहीं ली जाएगी।

डी) एनजे फैमिलीकेयर

एनजे फैमिलीकेयर न्यू जर्सी का सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है जिसमें सीएचआईपी, मेडिकेड और मेडिकेड विस्तार आबादी शामिल है। एनजे फैमिलीकेयर एक संघीय और राज्य द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है जो किसी भी उम्र के योग्य न्यू जर्सी निवासियों को किफायती स्वास्थ्य बीमा तक पहुंच बनाने में मदद करने के लिए बनाया गया है। एनजे फैमिलीकेयर उन लोगों के लिए है जिनके पास नियोजित बीमा नहीं है।

एनजे फैमिलीकेयर के लिए पात्रता चाहने वाले व्यक्तियों के लिए वित्तीय योग्यता उनकी संशोधित समायोजित सकल आय यानि एमएजीआई पर आधारित होगी। अतिरिक्त जानकारी यहां पाई जा सकती है: www.njfamilycare.org/default.aspx.

इ) न्यू जर्सी कैंसर एजुकेशन एंड अर्ली डिटेक्शन ("एनजेसीईडी")

एनजेसीईडी कार्यक्रम स्तन, ग्रीवा, कोलोरेक्टल और प्रोस्टेट कैंसर के लिए व्यापक पहुँच, शिक्षा और स्क्रीनिंग सेवाएं प्रदान करता है।

पात्र होने के लिए मरीज़ बिना-रहित या कम बीमा वाला होना चाहिए और उसकी पारिवारिक सकल आय एफ़पीजी के 250% या उससे कम होनी चाहिए। अतिरिक्त जानकारी यहां पाई जा सकती है: www.nj.gov/health/cancer/njceed।

एफ) बच्चों में आपत्तिजनक बीमारी के लिए राहत निधि

बच्चों में आपत्तिजनक बीमारी के लिए राहत निधि आपदाजनक बीमारी वाले बच्चों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

पात्र होने के लिए अस्पताल का खर्च परिवार की सकल आय का 10% से अधिक होना चाहिए, साथ ही \$100,000 से अधिक की किसी भी अतिरिक्त आय का 15%, चिकित्सा व्यय किए गए हों तब बच्चे की आयु 21 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए और आवेदन की तारीख से ठीक 3 महीने पहले परिवार न्यू जर्सी में रहा होना चाहिए। प्रवासी कर्मचारी पात्र हो सकते हैं, अस्थायी निवासी नहीं हो सकते। अतिरिक्त जानकारी www.state.nj.us/humanservices/cicrf/home पर मिल सकती है।

जी) न्यू जर्सी अपराध मुआवजा के पीड़ितों का कार्यालय

न्यू जर्सी राज्य ने कुछ आपराधिक कृत्यों के परिणामस्वरूप कुछ चिकित्सा खर्च सहित, नुकसान और खर्चों के लिए अपराध के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए न्यू जर्सी अपराध मुआवजा के पीड़ितों के कार्यालय की स्थापना की है।

न्यू जर्सी अपराध मुआवजा के पीड़ितों के कार्यालय के लिए पात्र होने के लिए अपराध न्यू जर्सी में हुआ होना चाहिए या राज्य के बाहर पीड़ित न्यू जर्सी निवासी से संबंधित होना चाहिए, पीड़ित ने 9 महीने के भीतर पुलिस को अपराध की सूचना दी होनी चाहिए और पीड़ित को अवश्य ही अपराध की जांच और अभियोजन में सहयोग करना चाहिए। दावा अपराध की तारीख से 3 साल के भीतर दायर किया जाना चाहिए और मरीज़ अपराध का एक निर्दोष पीड़ित होना चाहिए। अतिरिक्त जानकारी www.nj.gov/oag/njvictims/index.html पर मिल सकती है।

एच) एबीजी

आईआरसी की धारा 501(आर)(5) के अनुसार, आपातकालीन या चिकित्सकीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल के मामले में, पात्र मरीज़ों से आम तौर पर उन व्यक्तियों को बिल की गई राशि से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा जिनके पास ऐसी देखभाल को कवर करने वाला बीमा है।

मरीज़ इस छूट के लिए पात्र हो सकते हैं यदि वे अबीमाकृत यानि बीमारहित हैं और उनकी पारिवारिक सकल आय एफ़पीजी के 500% से कम है। इसके अतिरिक्त, कम बीमा वाले मरीज़ पात्र हो सकते हैं यदि उनकी पारिवारिक सकल आय एफ़पीजी के 200% से अधिक है लेकिन 300% से कम या उसके बराबर है।

i) वर्चुआ का चैरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम ("सीएपी")

अबीमाकृत मरीज़ जो मेडिकेड के लिए पात्र नहीं हैं और एचसीपीएपी के तहत 100% छूट के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वे सीएपी के लिए पात्र हो सकते हैं यदि वे यूनाइटेड स्टेट्स के नागरिक हैं और उनकी पारिवारिक सकल आय एफ़पीजी के 500% से अधिक नहीं है। सीएपी के तहत सहायता के लिए अर्हता प्राप्त करने वालों को आपातकालीन या चिकित्सकीय रूप से आवश्यक परक्रियाओं के लिए ली जाने वाली राशि पर 90% की छूट प्राप्त होगी।

सीएपी के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए वर्चुआ चैरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम आवेदन जमा करना होगा। सीएपी आवेदकों को परिवार/घरेलू जानकारी के साथ-साथ आय का प्रलेखित प्रमाण देना होगा (धारा 2(बी), एचसीपीएपी में शामिल आय के उदाहरण देखें)।

भाग लेने के लिए न्यू जर्सी हॉस्पिटल केयर असिस्टेंस प्रोग्राम एप्लीकेशन और वर्चुआ चैरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम एप्लीकेशन ("एप्लीकेशन") को वर्चुआ वेब साइट, www.virtua.org से वर्चुआ चैरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत डाउनलोड किया जा सकता है।

(833) 335-4010 पर हमारे ग्राहक सेवा ब्यूरो को कॉल करके आवेदनों की कागजी प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं।

आवश्यक दस्तावेज सहित पूर्ण किए गए आवेदनों को जमा करने के लिए मरीज़ों के पास पहले पोस्ट-डिस्चार्ज बिल की तारीख से 365 दिन हैं।

कृपया भरे हुए आवेदन पत्र (सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ) इस पते पर मेल करें:

वर्चुआ पेशेंट अकाउंटिंग
2000 क्रॉफ़र्ड प्लेस, सुइट 100
माउंट लॉरेल, एनजे 08054

यदि कोई अधूरा आवेदन प्राप्त होता है, तो वर्चुआ मरीज़ को लिखित नोटिस प्रदान करेगा जिसमें एफ़एपी-पात्रता निर्धारण करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज का वर्णन होगा और मरीज़ को अनुरोधित दस्तावेज प्रदान करने के लिए उचित समय (30 दिन) दिया जाएगा। वर्चुआ मरीज़ को इस एफ़एपी के सामान्य भाषा सारांश ("पीएलएस") की एक प्रति भी प्रदान करेगा। पीएलएस एक लिखित कथन है जो

किसी व्यक्ति को सूचित करता है कि वर्चुआ एफएपी के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है और स्पष्ट, संक्षिप्त और समझने में आसान भाषा में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है।

3. चार्ज की जाने वाली राशियों की गणना का आधार

सालाना, वर्चुआ लुक-बैक पद्धति का उपयोग करके अपनी अस्पताल सुविधाओं के लिए एजीबी प्रतिशत स्थापित करेगा। एजीबी प्रतिशत की गणना मेडिकेयर सेवा-के-शुल्क कार्यक्रम + निजी स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के दावों को उन दावों से जुड़े सकल शुल्कों से विभाजित करके की जाती है। एजीबी राशि निर्धारित करने के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं के लिए परिणामी एजीबी प्रतिशत को सकल शुल्क से गुणा किया जाता है।

गणना किए गए एजीबी प्रतिशत के साथ-साथ गणनाओं का विवरण अनुरोध पर और हमारे ग्राहक सेवा ब्यूरो (833) 335-4010 पर कॉल करके निःशुल्क पाया जा सकता है।

आईआरसी धारा 501(आर)(5) के अनुसार एफएपी-पात्र होने के लिए निर्धारित एक व्यक्ति से आपातकालीन और अन्य चिकित्सकीय रूप से आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एजीबी से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। एजीबी किसी भी एफएपी-पात्र व्यक्ति से ली जाने वाली अधिकतम राशि है। इस एफएपी के अनुसार, एक एफएपी-पात्र व्यक्ति से कम एजीबी या किसी अन्य रियायती दर, जिसके लिए वे इस एफएपी के तहत अर्हता प्राप्त करते हैं, उसमें से जो कम हो वह शुल्क लिया जाएगा।

4. एफएपी का व्यापक रूप से प्रचार करना

किसी व्यक्ति के वित्तीय सहायता के लिए पात्र होने का निर्धारण करने के लिए उचित प्रयासों का उपयोग करते हुए, वर्चुआ का मरीज़ लेखा विभाग निष्पक्ष और लगातार वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा। जैसा कि वर्चुआ को हमारे अपने व्यापक वित्तीय उत्तरदायित्व के साथ वित्तीय सहायता के लिए हमारे मरीजों की ज़रूरतों को संतुलित करना चाहिए, सहायता को व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी का विकल्प नहीं माना जाता है। जिन व्यक्तियों के पास अपनी देखभाल के लिए भुगतान करने के लिए वित्तीय साधन हैं, उनसे यह खुद से करने की अपेक्षा की जाएगी, और वर्चुआ अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून के तहत अनुमेय कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

हमारे मरीजों के लाभ के लिए, हमारे एफएपी, एप्लिकेशन और पीएलएस, वर्चुआ की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: www.virtua.org

एफएपी, आवेदनों और पीएलएस की कागजी प्रतियां हमारे अस्पताल सुविधाओं के निम्नलिखित सार्वजनिक स्थानों पर अनुरोध पर निःशुल्क उपलब्ध हैं:

- आपातकालीन कमरे;
- आउट-पेशेंट पंजीकरण; और
- प्रवेश पंजीकरण।

इसके अतिरिक्त, 888 625-2890 पर वर्चुआ के ग्राहक सेवा ब्यूरो को कॉल करके एफएपी, आवेदनों और पीएलएस की कागजी प्रतियों का अनुरोध किया जा सकता है

|

वर्चुआ ने उपलब्ध वित्तीय सहायता के बारे में हमारे मरीज़ों और समुदाय के सदस्यों को सूचित करने और ज्ञात करने के प्रयास में सार्वजनिक अस्पताल स्थानों में विशिष्ट प्रदर्शन स्थापित किए हैं।

वर्चुआ वित्तीय सहायता की उपलब्धता के बारे में समुदाय के सदस्यों को सूचित करने के लिए भी उचित प्रयास करेगा।

वर्चुआ सेवन या डिस्चार्ज प्रक्रिया के हिस्से के रूप में सभी मरीज़ों को पीएलएस की एक प्रति प्रदान करेगा।

वर्चुआ के प्राथमिक सेवा क्षेत्र के भीतर सभी महत्वपूर्ण आबादी को समायोजित करने के प्रयास में, एफएपी, एप्लिकेशन और पीएलएस सभी अंग्रेजी में और 1,000 से कम व्यक्ति शामिल हो ऐसे या वर्चुआ द्वारा सेवा प्राप्त 5% समुदाय के लिए अंग्रेजी में सीमित दक्षता ("एलईपी") वाली आबादी की प्राथमिक भाषा में उपलब्ध हैं।

5. बिलिंग और संग्रह नीति

वर्चुआ सभी नियमों का पालन करेगा और बिलिंग और संग्रह प्रथाओं के संबंध में संविदात्मक प्रावधानों पर सहमत होगा। मरीज़ लेखा विभाग सभी खातों के संबंध में भुगतान की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए बिलिंग और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा। यदि, बकाया राशि के लिए प्राथमिक उत्तरदायित्व के साथ भुगतानकर्ता द्वारा भुगतान के बाद, कोई शेष राशि बकाया है (उदाहरण के लिए, कटौती योग्य या सह-बीमा राशि), तो शेष खाते की बकाया राशि को खाते की शेष राशि के लिए द्वितीयक उत्तरदायित्व वाले पक्ष को बिल किया जाएगा। उन मरीज़ों के संबंध में जो अभीमाकृत के हैं या शेष राशि के लिए द्वितीयक बीमा कवरेज नहीं हैं, वर्चुआ देखभाल के लिए भुगतान प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ तब तक असाधारण संग्रह कार्रवाई ("ईसीए") में संलग्न नहीं होगा, जब तक कि यह निर्धारित करने के लिए उचित प्रयास नहीं किए जा सकते कि क्या व्यक्ति वर्चुआ के एफएपी के तहत सहायता के लिए पात्र है या नहीं।

उन मरीज़ों के खाते जिनके लिए कोई पहचाना गया तृतीय पक्ष स्वास्थ्य बीमा कवरेज नहीं है, वे परिभाषित स्व-भुगतान संग्रह चक्र का पालन करेंगे, जिसमें जिम्मेदार पक्ष को एफएपी के तहत दी जाने वाली छूट की उपलब्धता से अवगत कराया जाएगा।

एक बार पूरा किया गया एफएपी आवेदन प्राप्त हो जाने पर, वर्चुआ:

- ए) व्यक्ति के खिलाफ किसी भी ईसीए को निलंबित कर देगा (वर्चुआ की ओर से काम करने वाला कोई भी तीसरा पक्ष भी किए गए ईसीए को निलंबित कर देगा);
- बी) समयबद्ध तरीके से एफएपी-पात्रता निर्धारण करेगा और उसका दस्तावेजीकरण करेगा; और
- सी) निर्धारण और निर्धारण के आधार के बारे में लिखित रूप में जिम्मेदार पक्ष या व्यक्ति को सूचित करेगा।

यदि किसी मरीज़ को एफएपी-योग्य समझा जाता है तो वर्चुआ:

- i. एक बिलिंग विवरण प्रदान करेगा जिसमें एफएपी-पात्र व्यक्ति की बकाया राशि, उस राशि का निर्धारण कैसे किया गया और एजीबी से संबंधित जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है उसका विवरण होगा;
- ii. व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी अतिरिक्त भुगतान को वापस करेगा; और
- iii. तीसरे पक्ष कर्ज लेने के लिए मरीजों के खिलाफ लिए गए किसी भी ईसीए को उलटाने के लिए सभी उचित उपलब्ध उपाय करेंगे।

कोई भी शेष बकाया खाते जो भुगतान की व्यवस्था करने की प्रक्रिया में नहीं हैं या परिभाषित स्व-भुगतान संग्रह चक्र के अंत में वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित नहीं हैं (पहले पोस्ट-डिस्चार्ज बिल की तारीख के 120 दिन बाद) उनको संग्रह के लिए तृतीय पक्ष एजेंसी ("एजेंसी") को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। हालांकि, इस हस्तांतरण से पहले, जिम्मेदार पक्ष की वार्षिक आय का अनुमान किसी बाहरी क्रेडिट एजेंसी से प्राप्त किया जा सकता है। यदि आय के अनुमान के आधार पर यह निर्धारित किया जा सकता है कि व्यक्ति एफएपी-पात्र होगा, तो शुल्कों में उपरोक्त कटौती को संग्रह के लिए एक एजेंसी को हस्तांतरित शुद्ध शेष राशि के साथ लागू की जाएगी। इसके अतिरिक्त, वर्चुआ प्रकल्पित एफएपी-पात्रता निर्धारण के आधार के संबंध में व्यक्ति को सूचित करेगा।

खाता 180 दिनों तक एजेंसी के पास रहेगा। इस समयावधि के बाद, बकाया राशि को हल करने के लिए कोई व्यवस्था न होने पर, वर्चुआ, या उसकी ओर से काम करने वाला कोई भी तीसरा पक्ष, निम्नलिखित ईसीए में संलग्न हो सकता है:

- ए) उपभोक्ता क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसियों या क्रेडिट ब्यूरो को व्यक्ति के बारे में प्रतिकूल जानकारी देना;
- बी) किसी व्यक्ति की संपत्ति पर ग्रहणाधिकार रखना;
- सी) किसी व्यक्ति के बैंक खाते या अन्य निजी संपत्ति को कुर्क या जब्त करना;
- डी) किसी व्यक्ति के खिलाफ नागरिक कार्रवाई शुरू करना; और
- इ) व्यक्ति के वेतन को जब्त करना।

वर्चुआ 120 दिन की अधिसूचना अवधि के बाद दोषी मरीज खातों पर ईसीए शुरू करने के लिए वर्चुआ की ओर से काम करने वाली संग्रह एजेंसियों और वकीलों को अधिकृत कर सकता है। वर्चुआ यह सुनिश्चित करेगा कि, यह निर्धारित करने के लिए उचित प्रयास किए गए हैं कि क्या कोई व्यक्ति एफएपी के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र है और ईसीए शुरू करने से पहले निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

1. मरीज को लिखित सूचना दी गई है (सभी बिलिंग विवरणों में शामिल) जो:
 - इंगित करता है कि पात्र मरीजों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है;
 - उन ईसीए की पहचान करता है जो देखभाल के लिए भुगतान प्राप्त करने के लिए वर्चुआ शुरू करने का इरादा रखता है; और
 - एक समय सीमा बताता है जिसके बाद इस तरह के ईसीए शुरू किए जा सकते हैं।
2. व्यक्ति को एफएपी के बारे में और व्यक्ति वित्तीय सहायता आवेदन प्रक्रिया के साथ सहायता कैसे प्राप्त कर सकता है उस बारे में मौखिक रूप से सूचित करने के लिए उचित प्रयास किए गए हैं।

तृतीय पक्ष बीमा

1. वर्चुआ मेडिकेयर और मेडिकेड को बिल करेगा;
2. वर्चुआ मरीज़ की ओर से सभी तृतीय पक्ष बीमाकर्ताओं को बिल देगा। इससे पहले कि वर्चुआ मरीज़ो से उनके भुगतान नहीं की गई बीमा शेष राशि के बारे में संपर्क करना शुरू करे, बीमाकर्ताओं को भुगतान जमा करने के लिए 45 दिनों की अनुमति है;
3. वर्चुआ मोटर वाहन और श्रमिकों के मुआवजे के दावों को कवर करने वाले तृतीय पक्ष को बिल देगा; और
4. यदि कोई भुगतान प्राप्त नहीं होता है, जब तक कि अनुबंध या विनियमों द्वारा निषिद्ध न हो, तो अपने बिलों के लिए अंततः मरीज़ जिम्मेदार होंगे

अबीमाकृत, अनसुलझी और स्व भुगतान शेष राशि

1. ईएमटीएएलए (इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट एंड एक्टिव लेबर एक्ट) के अंतर्गत आने वाली आपातकालीन, तत्काल और प्रसव और प्रसूति सेवाएं पूर्व भुगतान के अधीन नहीं हैं। वर्चुआ ऐसे किसी भी कार्य में संलग्न नहीं होगा जो व्यक्तियों को आपातकालीन चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने से हतोत्साहित करता है, जैसे आपातकालीन चिकित्सा स्थितियों के लिए उपचार प्राप्त करने से पहले आपातकालीन विभाग के मरीज़ो को भुगतान करने की मांग करके या ऋण वसूली गतिविधियों की अनुमति देकर आपातकालीन विभाग या अन्य क्षेत्रों में जहां ऐसी गतिविधियाँ गैर-भेदभाव के आधार पर आपातकालीन देखभाल के प्रावधान के साथ हस्तक्षेप कर सकती हैं।
2. ज्ञात कटौती-योग्य राशि, सह-भुगतान, और सह-बीमा राशियों का भुगतान सेवा के समय देय होता है।
3. गैर-कवर की गई, अबीमाकृत और "जीवन शैली" सेवाओं के लिए भुगतान सेवा के समय तक देय होता है (जीवन शैली प्रक्रियाओं को चिकित्सकीय रूप से अनावश्यक प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जैसे गैर-पुनर्स्थापनीय कॉस्मेटिक सर्जरी)।
4. मरीज़ की शेष राशि जो सेवा से पहले भुगतान नहीं की जा सकती है और बीमा भुगतान या इनकार के बाद देय होने वाली शेष राशि को निम्नलिखित विधियों में से एक द्वारा हल किया जाना चाहिए:

ए. व्यक्तिगत निधियों, क्रेडिट कार्ड से पूर्ण भुगतान;

बी. सीमित अवधि समय के भुगतान (भुगतान व्यवस्था नीति देखें); या

सी. स्वीकृत वित्तीय सहायता। (वर्चुआ का एफ़एपी देखें)

5. एक बार जब खाते की शेष राशि मरीज़ की जिम्मेदारी बन जाती है तो 3-5 व्यावसायिक दिनों के भीतर मरीज़ को एक स्टेटमेंट मेलर भेजा जाता है। यह तिथि अधिसूचना अवधि की शुरुआत का प्रतीक है। "अधिसूचना अवधि" एक 120 दिन की अवधि है जिसमें मरीज़ के खिलाफ कोई ईसीए शुरू नहीं किया जा सकता है।

6. इस समय वर्चुआ का स्व-भुगतान विक्रेता अपने बिलिंग चक्र को शुरू करने के लिए खाते में एक सक्रियण तिथि दर्ज करेगा।
 - ए. मरीज़ को 3 स्टेटमेंट प्राप्त होंगे। इन पत्रों में उपरोक्त भुगतान विकल्पों के साथ-साथ वर्चुआ के एफएपी के बारे में जानकारी शामिल है। संग्रह के लिए खाता भेजने से पहले मरीज़ को फोन कॉल/प्रयास किए जाएंगे। ये चरण सभी खातों को समान रूप से संसाधित करने की अनुमति देंगे;
 - बी. मरीज को छुट्टी के बाद के प्रारंभिक बिल से कम से कम 120 दिनों के लिए एक संग्रह एजेंसी में स्थानांतरण नहीं होगा;
 - सी. गलत पते वाले खाते और मृत मरीज़ों से संबंधित खातों को संग्रह एजेंसी को केवल तभी हस्तांतरित किया जा सकता है जब खाते पर सहायक दस्तावेजी शोध हो। खराब पतों और बिना परिवार/संपदा वाले मृत मरीज़ों के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए और खाते में दर्ज किया जाना चाहिए।
7. एक संग्रह एजेंसी को अग्रेषित किए जाने से पहले, अभीमाकृत व्यक्तियों के सभी खातों को वर्चुआ के सीएपी के संबंध में समायोजित किया जाता है।